न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/306/2016

उनवान

1. ज्वारा पिता गोदु चमार निवास गागेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 248/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री ओ पी पटवारी, अधिवक्ता अपीलार्थी
2 श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 24.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गागेडा पटवार हल्का हुरडा के खाता संख्या 43 में स्थित आराजी नम्बर 2606/1892 , 2679/1911 कुल किता 02 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा जो कि ऊंकार पुत्र गोदू चमार के नाम से बहैसियत खातेदारी दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। उक्त आराजियात जैर बहस में ऊंकार बचपन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

से ही ऊंकार व ज्वारा दोनों नाम से ही जाने जाते रहे हैं। वर्तमान में ऊंकार उर्फ ज्वारा स्वयं बालिग होकर गोदू चमार की जायन्दा संतान है। पंचायत द्वारा जारी परिवार कार्ड में भी वादी का नाम ज्वारा पुत्र गोदू चमार दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पचांयत द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 20.3.2009 के आधार पर भी ज्वारा उर्फ ऊंकार पुत्र श्री गोदू चमार दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होकर ज्वारा ही ऊंकार नाम से जाने जाते रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन के समय वादी के बचपन से ही दोनों नामों ऊंकार व ज्वारा बोले जाने से राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम ऊंकार पिता गोदू चमार अंकन हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र में भी वादी का नाम ज्वारा पुत्र गोदू चमार दर्ज होकर पहचान पत्र वादी के पास है। भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आधार कार्ड में भी वादी का नाम ज्वारा पिता गोदू चमार के नाम से आधार कार्ड बना हुआ है। पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में भी वादी का नाम ज्वारा उर्फ ऊंकार पुत्र श्री गोदू चमार निवासी गागेडा दर्ज है। उक्त आराजियात में वक्त आवंटन कार्यवाही में वादी का नाम ऊंकार पिता गोदू चमार अंकित किया गया है जिसे शुद्ध किया जाना नितान्त आवश्यक है। ज्वारा उर्फ ऊंकार के नाम से एक ही व्यक्ति होने से वादी को ज्वारा पुत्र गोदू नाम से आराजी में वादी का नाम में शुद्धि की जाकर हक घोषणा खातेदारी वादी के नाम से कराई जावे। अतः दावा डिक्री किया जाकर वाके ग्राम गागेडा के खाता संख्या 43 में स्थित आराजी नम्बर 2606/1892 , 2679/1911 कुल किता 02 रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में वादी का नाम शुद्ध किया जाकर ऊंकार के बजाय ज्वारा पिता गोदू चमार बहैसियत खातेदारी हक की घोषणा कराई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को उसके अधिवक्ता से मिलने पर हुई। क्योंकि अधिवक्ता ने उन्हें कहा था कि जब भी तुम्हारी न्यायालय में जरूरत होगी तब तुम्हें न्यायालय में बुलवा लेगें। इस कारण अपीलार्थी अपने अधिवक्ता ने नहीं मिल सका । निर्णय की जानकारी होने पर निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 22.10.2016 को निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई गई। उसके बाद प्रार्थी रोगग्रसित हो गया इस कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका । स्वस्थ होने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुंत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गागेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 2606/1892, 2679/1911 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में वादी के नाम ऊंकार के स्थान पर ज्वारा पुत्र गोदू चमार अंकित किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पंचायत द्वारा जारी कार्ड एवं अन्य दस्तावेज तथा तहसीलदार हुरडा द्वार जारी प्रमाण पत्र की प्रति भी पेश की जिसमें यह स्पष्ट अंकन था कि ऊंकार पुत्र श्री गोदु चमार एवं ज्वारा पुत्र गोदु चमार निवासी गागेडा एक ही नाम के व्यक्ति हैं इसको भी नजरंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया है। जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा अपने नाम को शुद्ध किये जाने और ऊंकार के बजाय ज्वारा चमार बहैसियत खातेदार हक की घोषणा का अंकन भी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये वाद पत्र में किया था । इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर न कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में समस्त दस्तावेजात प्रस्तुत किये एवं बयानात दर्ज करवाये इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया ।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि अपीलाण्ट ने अपने विरासती हक हिस्से की भूमि को छिपाते हुए ऊंकार के नाम से वादग्रस्त भूमि का आवंटन करवाया है जिससे उक्त वादग्रस्त भूमि ऊंकार के नाम से दर्ज चली आ रही है जबकि अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत में जो वाद पत्र प्रस्तुत किया वह नाम शुद्धि किये जाने के लिए पेश किया था इस ओर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

10. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। साथ ही निवेदन किया कि अपीलार्थी ने अपनी विरासत में प्राप्त होने वाली भूमि के तथ्य को छिपाकर ऊंकार पुत्र गोदु चमार के नाम से वादग्रस्त भूमि का आवंटन कराया है। जबकि विरासत से प्राप्त भूमि में अपीलार्थी का नाम ज्वारा पिता गोदु चमार है। अपीलार्थी ने तथ्यों को छिपाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन कराया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

11. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है ।

12. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का नाम ज्वारा आत्मज गोदु चमार है परन्तु अपीलार्थी को बचपन में ऊंकार एवं ज्वारा दोनों नाम से जाना जाता था। आवंटन के वक्त ऊंकार नाम से आवंटन किया गया इसलिए आंवटित भूमि में खातेदार के रूप में ऊंकार पिता गोदु चमार अंकित है । जबकि ज्वारा एवं ऊंकार अपीलार्थी के ही दो नाम है एवं दोनों नामों से अपीलार्थी को जाना जाता है। ज्वारा आत्मज गोदु चमार एवं ऊंकार आत्मज गोदु चमार निवासी गागेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर अपीलार्थी एक ही व्यक्ति है। अतः अपीलार्थी के नाम आवंटित भूमि का राजस्व रेकार्ड में नाम ऊंकार पिता गोदु चमार निवासी गागेडा अंकित है जिसे शुद्ध किया जाकर ऊंकार आत्मज गोदु चमार के स्थान पर ज्वारा आत्मज गोदु चमार अंकित किया जावे।

13. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया । अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का नाम ज्वारा उर्फ ऊंकार आत्मज गोदु चमार है। अपीलार्थी के सभी दस्तावेजात में अपीलार्थी का नाम ज्वारा आत्मज गोदु चमार अंकित किया हआ है। वादग्रस्त भूमि ज्वारा उर्फ ऊंकार आत्मज गोदु चमार को हुई थी परन्तु राजस्व रेकार्ड में ऊंकार आत्मज गोदु चमार के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसे दुरूस्त किया जाकर ऊंकार के जगह ज्वारा का नाम अंकित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 1 मौजा गागेडा तहसील हुरडा में वादग्रस्त आराजी नम्बर 2606/1892, 2679/1911 कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा 12 बिस्वा में ऊंकार पिता गोदु चमार के नाम दर्ज रेकार्ड होना जाहिर आया है।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 1 में अपीलार्थी/वादी ज्वारा पिता गोदू चमार के नाम खसरा नम्बर 1483, 1488, 1554/1, 1599/1, 1943/1 कुल किता 5 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। उक्त भूमि अपीलार्थी/वादी को विरासत से प्राप्त हुई है। उक्त आराजियात वादग्रस्त/आवंटित आराजियात के अलावा है। इससे यह प्रतीत होता है की अपीलार्थी/वादी ज्वारा ने विरासत से प्राप्त होने वाली भूमि के हक हिस्से के तथ्य को आवंटन सलाहकार समिति से छिपाकर वादग्रस्त भूमि का आवंटन कराया है। इसी कारण वादग्रस्त भूमि ऊंकार पिता गोदु

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

चमार के नाम से दर्ज चली आ रही है। अपीलार्थी/वादी ने आवंटन के उपरान्त लम्बी अवधि के बाद वादग्रस्त भूमि में अंकित अपने दर्ज नाम ऊंकार के स्थान पर ज्वारा दर्ज किये जाने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है ।

15. अपीलाण्ट द्वारा स्वयं ही यह स्वीकार किया गया है कि उन्हें मूल नाम ज्वारा पुत्र गोदु चमार के स्थान पर ऊंकार के पुत्र गोदु चमार के नाम पर आवंटन हुआ है तथा उनके अतिरिक्त ऊंकार पुत्र गोदु चमार नाम का कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भूमि का आवंटन तथ्य छिपाकर करवाया गया है। जब दावे व अपील का मुख्य आधार ही संदिग्ध हो तो अपीलाण्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं माना जा सकता है। यदि अपीलाण्ट अपने मूल नाम से आवेदन करता तो स्पष्ट ही यह आवंटन प्रस्ताव खारिज हो जाता । क्योंकि अपीलाण्ट के नाम पूर्व में ही पैतृक सम्पति दर्ज है तथा अपीलाण्ट के आवंटन की पात्रता की जांच भिन्न होती। यह गम्भीर प्रकरण है कि अपीलाण्ट द्वारा तथ्य छिपाकर आवंटन करवाया गया है व अब पूर्ववर्ती आवंटन को लम्बा समय व्यतीत हो जाने के बाद खातेदारी उद्घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु वाद दायर किया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर समग्र विवेचन उपरान्त सलाहकार समिति को गुमराह कर उक्त भूमि ऊंकार के नाम से आवंटित करवाया जाना निष्कर्षित किया है तथा ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझा है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा इस बिन्दु पर कोई प्रतिरक्षण नहीं किया गया है बल्कि अपील मे भी ज्वारा व ऊंकारएक ही व्यक्ति का नाम होने से अनुतोष चाहा है।

16. मेरे विनम्र अभिमत में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, गवाहान के बयान का अवलोकन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। साथ ही अन्तर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश की एक प्रति जिला कलक्टर, भीलवाडा को भी इस आशय से प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वादग्रस्त आराजियात के आवंटन की पत्रावली की जांच करावे। जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा वादग्रस्त आराजियात के आवंटन पत्रावली की जांच होने तथा आवंटन उचित/अनुचित होने बाबत विधिवत निर्णय होने तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना भी उचित समझते हैं। इस आशय की तहरीर तहसीलदार हुरड़ा को भी जारी की जाती है।

17. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

18. निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/306/2016

उनवान

1. ज्वारा पिता गोदु चमार निवास गागेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 248/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/306/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 24.5.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री ओ पी पटवारी वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 24.5.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.6.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस